



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2014/माघ 23, 1935

No. 319]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2014/MAGHA 23, 1935

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2014

विषय:—दिल्ली में फार्म हाउसों के नियमन हेतु का.आ. 2622 (अ) दिनांक 30.10.2012 द्वारा अधिसूचित विनियमों में अनुशेष/संशोधन

(दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत)

का.आ. 381(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली में फार्म हाउसों के नियमन हेतु विनियमों, जिनका अधिसूचना संख्या का.आ. 2622(अ) दिनांक 30-10-2012 द्वारा अधिसूचित किया गया था, के पैरा 1.2 (ix) की शर्तों में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन/परिवर्तन करता है:

संशोधन

क्र. सं.	दिनांक 30.12.2012 के विनियमों में विद्यमान प्रावधान	परिवर्तन/संशोधन						
1.	<p>पैरा 1.2 अन्य शर्तें</p> <p>(i) विद्यमान फार्म हाउसों को निम्नलिखित विकास नियंत्रण मानकों के साथ नियमन की अनुमति दी जाएगी :</p> <table border="1"> <tr> <td>(क)</td> <td>प्लॉट का आकार</td> <td>लागू मुख्य योजना के अनुसार : न्यूनतम 1 एकड़-दि.मु. योजना-62 न्यूनतम 1 हैक्टेयर-दि.मु.यो. 2001</td> </tr> </table>	(क)	प्लॉट का आकार	लागू मुख्य योजना के अनुसार : न्यूनतम 1 एकड़-दि.मु. योजना-62 न्यूनतम 1 हैक्टेयर-दि.मु.यो. 2001	<p>पैरा 1.2 अन्य शर्तें</p> <p>(i) विद्यमान फार्म हाउसों को निम्नलिखित विकास नियंत्रण मानकों के साथ नियमन की अनुमति दी जाएगी :</p> <table border="1"> <tr> <td>(क)</td> <td>प्लॉट का आकार</td> <td>न्यूनतम 1 एकड़ (अधिसूचना का.आ. 1199(अ) दिनांक 10.5.2013 को ध्यान में रखते हुए)</td> </tr> </table>	(क)	प्लॉट का आकार	न्यूनतम 1 एकड़ (अधिसूचना का.आ. 1199(अ) दिनांक 10.5.2013 को ध्यान में रखते हुए)
(क)	प्लॉट का आकार	लागू मुख्य योजना के अनुसार : न्यूनतम 1 एकड़-दि.मु. योजना-62 न्यूनतम 1 हैक्टेयर-दि.मु.यो. 2001						
(क)	प्लॉट का आकार	न्यूनतम 1 एकड़ (अधिसूचना का.आ. 1199(अ) दिनांक 10.5.2013 को ध्यान में रखते हुए)						
2.	<p>पैरा 1.2(viii)</p> <p>स्वामी ऐसे नियमन के लिए निर्धारित प्रभारों की दरों तथा भुगतान की अधिसूचना के 180 दिनों के अंदर आवेदन करके एक बार माफी प्राप्त कर सकते हैं ।</p>	<p>पैरा 1.2(viii)</p> <p>स्वामी ऐसे नियमन के लिए निर्धारित प्रभारों की दरों तथा भुगतान की अधिसूचना के 360 दिनों के अंदर आवेदन करके एक बार माफी प्राप्त कर सकते हैं ।</p>						

3.	कोई प्रावधान नहीं ।	<p>पैरा 1.3 सैट बैक</p> <p>(i) जिन मामलों में सम्पत्ति शहरी सड़क से सटी हुई है उन मामलों में आवासीय भवन का सैट बैक उस सड़क की मध्य रेखा से 30 मीटर होना चाहिए । जिन मामलों में सम्पत्ति ग्रामीण सड़क से सटी हुई है उन मामलों में सैट बैक उस सड़क की मध्य रेखा से सामने की ओर 15 मीटर तथा तीनों ओर से 5 मीटर होना चाहिए ।</p> <p>(ii) निगरानी एवं देखभाल सुरक्षा इकाई के लिए अनुमति चार दीवारी अथवा प्रवेश द्वार के समीप दी जाएगी तथा यह एफ.ए.आर. एवं सैट बैक मानकों से अलग होगी ।</p>
----	---------------------	--

[फा. सं. एफ 3 (103)96-एम.पी.]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2014

Sub :—Addendum/Modification to Regulations for Regularization of Farm Houses in Delhi notified vide No. S.O. 2622(E) dated 30-10-2012

(Under Section 57 of DD Act, 1957)

S.O. 381(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following amendments/modification in terms of Para 1.2 (ix) to the Regulations for Regularization of Farm Houses in Delhi which were notified vide Notification No. S.O. 2622(E) dated 30-10-2012.

AMENDMENTS

S. No.	Existing Provision in the Regulations dated 30-10-2012	Modification/Amendments						
1.	<p>Para 1.2 Other Conditions</p> <p>(i) Existing Farm Houses shall be allowed to be regularized with following development control norms :</p> <table border="1" data-bbox="304 1234 791 1361"> <tr> <td data-bbox="304 1234 368 1361">(a)</td> <td data-bbox="368 1234 507 1361">Size of the Plot</td> <td data-bbox="507 1234 791 1361">As per the applicable Master Plan: Min. 1 acre – MPD-62 Min. 1 Ha- MPD-2001</td> </tr> </table>	(a)	Size of the Plot	As per the applicable Master Plan: Min. 1 acre – MPD-62 Min. 1 Ha- MPD-2001	<p>Para 1.2 Other Conditions</p> <p>(i) Existing Farm Houses shall be allowed to be regularized with following development control norms :</p> <table border="1" data-bbox="869 1234 1355 1361"> <tr> <td data-bbox="869 1234 933 1361">(a)</td> <td data-bbox="933 1234 1072 1361">Size of the Plot</td> <td data-bbox="1072 1234 1355 1361">Min 1 acre (in view of Notification S.O. 1199 (E) dated 10.05.2013)</td> </tr> </table>	(a)	Size of the Plot	Min 1 acre (in view of Notification S.O. 1199 (E) dated 10.05.2013)
(a)	Size of the Plot	As per the applicable Master Plan: Min. 1 acre – MPD-62 Min. 1 Ha- MPD-2001						
(a)	Size of the Plot	Min 1 acre (in view of Notification S.O. 1199 (E) dated 10.05.2013)						
2.	<p>Para 1.2 (viii)</p> <p>This one time amnesty can be availed by the owner by applying within 180 days of the notification of rates and payment of the prescribed charges for such regularization.</p>	<p>Para 1.2 (viii)</p> <p>This one time amnesty can be availed by the owner by applying within 360 days of the notification of rates and payment of the prescribed charges for such regularization.</p>						
3.	No Provision	<p>Para 1.3 Setbacks</p> <p>(i) Where the property abuts urban road, the dwelling house building should be setback from the center line of that road by 30 mt. Where the property abuts village road, the building setback from the center line of that road should be 15 mt. in the front side and 5 mt. on three sides.</p> <p>(ii) The watch and ward guard unit will be permitted adjacent to boundary or entrance gate and it is to be excluded from the FAR and setback norms.</p>						

[F. No. F. 3(103)96-MP]

D. SARKAR, Commissioner-cum Secy.